न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 139 सन 2021

अनवान :–

1. गुरजन्टसिह पुत्र कपूरसिह जाति जटसिख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सुरजीत कौर पत्नी कपूरसिह जाति जटसिख निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
2. बलदेवकौर पुत्री कपूरसिह जाति जटसिख निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
3. हजूरसिह पुत्र इन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
4. बन्तासिह पुत्र इन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
5. मनजीत कौर पत्नी बख्तावरसिह जाति जटसिख निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढं
6. जगरसीरसिह पुत्र बख्तावरसिह जाति जटसिख निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. वीराकोर पुत्री बख्तावरसिह जाति जटसिख निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
8. छिन्दकोर पुत्री बख्तावरसिह जाति जटसिख निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
9. जैलोकोर पुत्री बख्तावरसिह जाति जटसिख निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 27/09/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 22 एनटीआर के प0न0 341/420 के किला न0 6/1.00 ,7/0.12 ,8 ता 12/5.00, 13/0.15 ,14 ,15/2.00 ,प0न0 341/421 के किला न0 3 ता 8 की 6.00 बीधा 13 ता 15/3.00 बीधा कुल 19 बीधा भूमि वादी के पिता कपुरसिह व वादी के चाचा हजुरसिह व बख्तावरसिह व बलवीरसिह पुत्र इन्दसिह ने सयुक्त तौर से खरीद की थी , एवं रोही मौजा चक 22 एनटीआर के प0न0 341/421 के किला न0 2/0.18 ,9/.18 ,12/0.18 ,प0न0 88/21 की 1/0.01 ,खाला कुल 5.00 बीधा भूमि वादी के पिता कपूरसिह व वादी के चाचा हजूरसिह ,बख्तावरसिह , बलवीरसिह पुत्र इन्द्रसिह ने बहिब 1/3 हिस्सा भूमि खरीद की थी प0न0 340/415 के किला न0 1 ता 5/5.00 ,7 ता 14/8.00 ,20/1.00 ,प0न0 341/414 के किला न0 11 ता 14/4.00 ,15/.18 ,6/0.18 ,14 ता 20/4.00 बीधा कुल 24.00 बीधा भूमि वादी के पिता कपूरसिह व चाचा हजूरसिह वख्तावरसिह व बलवीरसिह ने बहिब 1/3 हिस्सा भूमि सयुक्त तौर से खरीद की थी इसी प्रकार प0न0 339/426(5) किला न0 9/0.09 ,प0न0 341/419(36) किलान0 4/0.18 ,प0न0 341/421(51) किला न0 6/0.05 ,प0न0 341/420(54) 4.08 बीधाा कुल 42.00 बीधा में से वादी के पिता कपूरसिह व चाचा हजूरसिह व बख्तावरसिह बलीवीरसिह पुत्र इन्द्रसिह ने बहिब 1/3 हिस्सा भूमि खरीद की थी।

वादी के पिता कपूरसिह एवं चाचा हजूरसिह बखतावरसिह बलवीरसिह के द्वारा सयुक्त तौर से खरीद की गई भूमि का बेयनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज हो गया परन्तु आगे की जमाबन्दी बनाते समय वादी के पिता कपूरसिह का नाम दर्ज नही हुआ और कपूरसिह के हिस्से की भूमि 33–1/3 हिस्सा यानी 1 बीधा 13–1/3 हिस्सा भूमि कलमजन हो गई उक्त भूमि में से भूमि का बेचान करने पर वादी के पिता के हिस्से की भूमि का भी बेचान हो गया।

वादी के पिता कपूरसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वासिान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है बखतारसिह भी फोत हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 है हजुरसिह व बन्तासिह मौजुद है बलीवीरसिह लावल्द फोत हो चुका है जिसके जायज हकदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से वाद भूमि का अपने हक हिस्सा एवं काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया जो वाद की मद संख्या 7 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादीगण अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के पिता कपूरसिह , एवं चाचा हजुरसिह , बखतावरसिह, बलवीरसिह के नाम से दर्ज भूमि है को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी के पिता कपूरसिह , व चाचा हजूरसिह , बख्तावरसिह , बलवीरसिह के द्वारा सयुक्त तौर से खरीद की गई थी जो बैयनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी आगमी जमाबन्दी बनाते समय वादी के पिता कपूरसिह का नाम हटने के कारण कपूरसिह के हिस्से की भूमि का बेचान सवहन से हो गया। वर्तमान में कपूरसिह , बख्तावरसिह बलवीररसिह को देहान्त हो चुके है कपूरसिह के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 हजुरसिह जीवीत है , बख्तावरसिह के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 है एव बलवीरसिह लावल्द फोत होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 प्रथम श्रेणी के वारिसान है इसप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है होने पर वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया जो वाद की मद संख्या 7 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है। व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि वादी के पिता कपूरसिह एवं चाचा हजुरसिह एवं बखतावर व बलवीरसिह ने सयुक्त तौर से जरिये बेयनामा खरीद की गई थी बैयनामा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई थी किन्तु आगामी जमाबन्दी बनाते समय वादी के पिता नाम दर्ज होने से रह गया था।

वादी के पिता कपुरसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है हजूरसिह मौजुद है बख्तावर सिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 है एवं बलवीरसिह लावल्द फौत हो चुका है बलवीरसिह के प्रथम श्रेणी के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार बलवीरसिह के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है इस प्रकार वाद भूमि जो वादी के पिता एवं चाचा ने खरीद की थी के देहान्त होने पर जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जिन्होने अपने हक हिस्सा एवं काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा /परिवारिक समझौता कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है परिवारिक समझौता जो वाद की मद संख्या 7 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसीप्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी
बोहर

निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के पिता कपूरसिह एवं चाचा हजुरसिह बख्तावरसिह बलवीरसिह के नाम से सुयक्त तौर से दर्ज है।

वादी के पिता कपूरसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है हजुरसिह मौजुद है वखतावर सिह फोत हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 है बन्तासिह मौजुद है बलवीरसिह लावल्द फोत हो चुका है जिसके जायज व प्रथम श्रेणी के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने पूर्व में दर्ज कम हिस्सा को ध्यान में रखते हुए काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया उसी के अनुसार काश्त करते आ रहे है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार कर ईकबाल पेश कर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ,2 के पास रोही मोजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 41/45 की कुल 6.0750हैक में से 0.267हैक बहिब रहेगे एवं खाता संख्या 107/41 की कुल 1.265हैक मे से 0.1416हैक बहिब रहेगी एवं खाता संख्या 137/134 की कुल 10.6260हैक मे से 0.3677 हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 3 के पास रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 41/45 की कुल 6.0720हैक भूमि मे से 0.577 हैक भूमि रहेगी खाता संख्या 107/41 की कुल 1.265हैक भूमि में से 0.140हैक भूमि रहेगी एवं खाता संख्या 137/134 की कुल 10.6240हैक भूमि में से 0.255 हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 4 के पास रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 41/45 की कुल 6.0720हैक में से 0.126हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 6 के पास रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 41/45 की कुल 6.0720हैक में से 0.211हैक भूमि रहेगी एवं खाता संख्या 107/41 की कुल 1.265हैक भूमि में से 0.1410 हैक रहेगी एवं खाता संख्या 137/134 की कुल 10.6240हैक मे से 0.199हैक भूमि में बहिब रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/08/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. गुरजन्टसिह पुत्र कपूरसिह जाति जटसिख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सुरजीत कौर पत्नी कपूरसिह जाति जटसिख निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
2. बलदेवकौर पुत्री कपूरसिह जाति जटसिख निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
3. हजूरसिह पुत्र इन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
4. बन्तसिह पुत्र इन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
5. मनजीत कौर पत्नी बख्तावरसिह जाति जटसिख निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढं
6. जगरसीरसिह पुत्र बख्तावरसिह जाति जटसिख निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. वीराकोर पुत्री बख्तावरसिह जाति जटसिख निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
8. छिन्दकोर पुत्री बख्तावरसिह जाति जटसिख निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
9. जैलोकोर पुत्री बख्तावरसिह जाति जटसिख निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 139 सन 2021 निर्णय दिनांक– 27/09/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ,2 के पास रोही मोजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 41/45 की कुल 6.0750हैक में से 0.267हैक बहिब रहेगे एवं खाता संख्या 107/41 की कुल 1.265हैक मे से 0.1416हैक बहिब रहेगी एवं खाता संख्या 137/134 की कुल 10.6260हैक मे से 0.3677 हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 3 के पास रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 41/45 की कुल 6.0720हैक भूमि मे से 0.577 हैक भूमि रहेगी खाता संख्या 107/41 की कुल 1. 265हैक भूमि में से 0.140हैक भूमि रहेगी एवं खाता संख्या 137/134 की कुल 10.6240हैक भूमि में से 0.255 हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 4 के पास रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 41/45 की कुल 6.0720हैक में से 0.126हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 6 के पास रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 41/45 की कुल 6.0720हैक में से 0.211हैक भूमि रहेगी एवं खाता संख्या 107/41 की कुल 1.265हैक भूमि में से 0.140 हैक रहेगी एवं खाता संख्या 137/134 की कुल 10.6240हैक मे से 0.199हैक भूमि में बहिब रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/09/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर